

कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाडा, जयपुर

दूरभाष-01412343796 ई मेल- adagr_jht@rediffmail.com


क्रमांक: 2017-18 / 395-401

दिनांक:-31.05.2017

श्रीमान निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
सचिवालय, राज0 जयपुर

विषय:- निविदा सूचना प्रकाशित करने बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त मिनिक्किट बीज परिवहन, प्रदर्शन व अन्य कृषि सामग्री का परिवहन करने हेतु कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 1/2017-18 का प्रारूप तैयार कर प्रति मय सीडी संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया इसे जिला स्तरीय दो समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करने का श्रम करावें। जिसमें से एक समाचार पत्र की प्रसार संख्या 50,000 प्रतियों से अधिक हों।


सहायक निदेशक कृषि (वि0)
झोटवाडा, जिला-जयपुर
दिनांक:- 31.05.2017

क्रमांक: 2017-18 / 395-401

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जयपुर खण्ड, जयपुर/श्रीमान उपनिदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद, जयपुर को भेजकर निवेदन है कृपया संलग्न निविदा सूचना को प्रचार-प्रसार के लिए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का श्रम करावें।
2. श्रीमान उपनिदेशक कृषि (ए.सी.पी) कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस निविदा सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
3. कार्यालय पंचायत समिति झोटवाडा नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. आरक्षी पत्रावली।


सहायक निदेशक कृषि (वि0)
झोटवाडा, जिला-जयपुर

कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि०) झोटवाडा, जिला जयपुर

क्रमांक : स.नि.कृ./2017-18/394

दिनांक : 31.05.2017


निविदा सूचना संख्या 1/2017-18

इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिले में प्राप्त प्रदर्शन/मिनिकिट् बीज व अन्य कृषि सामग्री को सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए परिवहन हेतु इच्छुक परिवहन फर्मों से सील बंद निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा सें संबंधी शर्तें निविदा फार्म के साथ सलग्न है।

क्र.स	कार्य विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	धरोहर राशि (रूपये)	निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि व समय	निविदाएँ जाम कराने की तिथि व समय	निविदाए खोलने की तिथि व समय
1.	प्रदर्शन/मिनिकिट् बीज परिवहन, प्रदर्शन व अन्य कृषि सामग्री परिवहन हेतु लोडिंग वाहन किराये पर लेना।	2.50	200.00	5000.00	14.06.17 मध्यान्ह 12.00 बजे तक	15.06.17 मध्यान्ह 03.00 बजे तक	15.06.17 मध्यान्ह 03.30 बजे तक

नोट:-

1. निविदा फार्म मय कार्य का पूर्ण विवरण/शर्तें कार्यालय से 200/- रूपये शुल्क का भुगतान कर किसी की कार्य दिवस/समय में प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदा को अनुमोदित/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।


सहायक निदेशक कृषि (वि०)
झोटवाडा, जयपुर

निविदा प्रारूप

-लोडिंग वाहन हेतु निविदा -

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फार्म का नाम एवं पता:.....
2. किसको संबोधित किया : सहायक निदेशक कृषि (वि.), झोटवाडा, जयपुर
3. संदर्भ (निविदा सूचना) संख्या: 1/2017-18 दिनांक.....
4. निविदा शुल्क की राशि 200/- रुपये नकद, रसीद संख्या..... दिनांक.....
5. मैं/हम सहायक निदेशक कृषि (वि.) झोटवाडा, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 1/2017-18 दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हूँ (उनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारा द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)
6. झोटवाडा उपजिले में एक वर्ष के लिए प्रदर्शन/मिनिक्विट बीज व अन्य सामग्री परिवहन हेतु लोडिंग वाहन किराये पर लेने हेतु दरे निम्न प्रकार होंगी:-

1.00 टन क्षमता	2.50 टन क्षमता	4.00 टन क्षमता	9.00 टन क्षमता
डीजल औसत 10 कि०मी० प्रति लि०	डीजल औसत 08 कि०मी० प्रति लि०	डीजल औसत 06 कि०मी० प्रति लि०	डीजल औसत 04 कि०मी० प्रति लि०
(दैनिक दर) डीजल अतिरिक्त	(दैनिक दर) डीजल अतिरिक्त	(दैनिक दर) डीजल अतिरिक्त	(दैनिक दर) डीजल अतिरिक्त

नोट प्रस्तुत दर में सहायक निदेशक कृषि (वि०) कार्यालय के गोदाम/निर्दिष्ट स्थान से माल की लदाई एवं सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों/ग्राम पंचायत क्षेत्र में उतराई व्यय, मय मजदूरी आदि शामिल है।

7. उपरोक्त दर में मजदूरी सम्मिलित होगी लोडिंग/अनलोडिंग अतिरिक्त देय नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रति प्रतिदिन की दर एवं डीजल के अलावा किसी भी तरह के व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
8. उक्त वर्णित दरे अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए वांछनीय कार्य के पूर्ण होने तक विधिमान्य है।
9. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या..... जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। रुपये 5000/- के लिए बयाना राशि (अरनेस्ट मनी) के पेटे संलग्न किया जा रहा है।
10. वाहन मालिक/ट्रान्सपोर्टर/कॉन्ट्रेक्टर स्वयं ही होने का धोषणा-पत्र संलग्न किया जा रहा है

निविदादाता के हस्ताक्षर

झोटवाडा उपजिले में वर्ष 2017-18 में सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों/ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मिनिक्विट् परिवहन के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाडा जयपुर द्वारा निर्देशानुसार रूटचार्ट के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों/ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बीज प्रदर्शन/ मिनिक्विट्स बीज पहुंचाने होंगे।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द होनी चाहिए। निविदा खुली पायी जाने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदाएं वास्तविक वाहन मालिक/ट्रान्सपोर्टर/कॉन्ट्रेक्टर द्वारा दी जायेगी।
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेंसिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
5. दरें शब्दों एवं अंको में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटि/ अपरिलेखन नहीं होना चाहिए। अशुद्धिया होने पर लघुहस्ताक्षर करें।
6. रनिंग किलोमीटर की गणना कार्यालय के गोदाम/निर्दिष्ट स्थान से की जायेगी।
7. निविदादाता को इस बारे में कोई संशय हो, तो वह निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष से प्रदर्शन/मिनिक्विट्स की संख्या, रूट चार्ट, जिले की भौलौलिक स्थिति, कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों/ ग्राम पंचायत क्षेत्रों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
8. वाहन पूर्ण रूप से बीमित होना चाहिए। प्रदर्शन/मिनिक्विट्स बीज आदि के परिवहन के दौरान हुई किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप अथवा अन्य प्रकार से हुई वाहन की क्षति-हानि, मानवीय हानि के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
9. निविदा में निविदा दाता की तरफ से लगाई गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होंगी।
10. निविदादाता को आदेश प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 24 घन्टे के भीतर वाहन उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराने की दशा में बाजार से वाहन किराये पर ले लिया जायेगा तथा निविदा दर से अधिक भुगतान की कटौती वाहन मालिक के बिल राशि से/सिक्योरिटी डिपोजिट से की जायेगी। इसके अतिरिक्त 500/- रुपये प्रति दिन के हिसाब से भी कटौती की जावेगी।
11. निविदा के साथ निविदादाता को निविदा के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करानी होगी। इसके बिना निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. असफल निविदादाता की बयाना राशि को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटा दी जायेगी।

13. बयाना राशि निम्नलिखित मामलों में समपृहत कर लिया जायेगा।
 - (अ) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद, किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है।
 - (ब) जब निविदादाता अदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
14. सफल निविदादाता को निविदा की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करानी होगी।
15. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप निम्नलिखित मामलों में समपृहत किया जायेगा:-
 - (अ) जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया जायेगा।
 - (ब) जब निविदादाता संतोषजनक ढंग से वाहन उपलब्ध कराने में असफल रहेगा।
16. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकार करने के 7 दिवस के अन्दर रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक करार-पत्र निष्पादित कराना होगा। करार-पत्र को पूर्ण करने एवं उसकी लागत को निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
17. यदि निविदादाता के साथ संविदा/निविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कार्यालयाध्यक्ष का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
18. यदि न्यायिक कार्यवाही आवश्यक हो तो, उसके लिए न्यायालय क्षेत्र, जयपुर ही होगा।
19. निविदा में दी गई प्रति किलोमीटर की दर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के प्रभार/कर/सेवाकर का भुगतान कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
20. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
21. वैध लाईसेन्सधारी वाहन चालक/वाहन मालिक द्वारा ही वाहन चलाया जायेगा। बिना लाईसेंस वाहन चलाये जाने, वाहन का बीमा नहीं होना एवं वाहन चालक द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही से राज्य सरकार को हुई हानि/चालान आदि के लिए वाहन मालिक/कॉन्ट्रैक्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. क्र.सं. 1 से 21 तक की शर्तें हमें स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने लोडिंग वाहन की विभिन्न भार क्षमताओं के वाहन के लिए जो निविदा दी है, उसके लिए मैं/हम अतिकृत हूँ/है तथा जो निविदा दरें दी है, वह मेरे/हमारे द्वारा किसी राज्य सरकार के विभाग/अन्य कार्यालय/उपक्रम/बोर्ड में दी गई दरों से अधिक नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जायें, तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जायेगा तथा निविदा को, जिस तक स्वीकार किया गया है, रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर